>

Title: Regarding need to resolve the issue of reservation policy for ST/OBC for applying to newly created AIIMS like institutes and other institutes in the country.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, मैंने कल एक सवाल उठाया था। मंत्री जी यहां बैठे हैं।...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से आज फिर मैं इस मामले को उठाना चाहता हूं। आज माननीय कपिल सिब्बल जी यहां हैं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ...(व्यवधान) अल्तमस कबीर जी के समय में सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है, सरकार की तरफ से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मुझे एश्योर किया गया था कि आठ दिन में इसको ठीक कर देंगे। आपने प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर एम्स में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट्स की एक कमेटी बनाई थी, उसने भी इसके फेवर में निर्णय दिया, उसका फैसला भी रिजर्वेशन वाले लोगों के हक में आया है। अब जो एम्स ओडिशा, रायपुर, पटना में खुले हुए हैं, इन सभी में कई तरह की गड़बड़ी हो रही है। पटना में तो कई डिपार्टमेंट बना दिए, नम्बर-1, नम्बर-2, नम्बर-3, तीनों जगहों पर रिजर्वेशन नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा था कि इसे ठीक करेंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : चेयर को एड्रेस करके बोलिए।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): शरद यादव जी, मैंने कहा था कि इसको ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : मैं उसी पर आ रहा हूं।

इसके बारे में आपने कहा था कि रिव्यू पेटीशन के लिए जा रहे हैं। हम लोगों ने, मुलायम सिंह यादव जी, बालू जी, दारा सिंह चौहान जी और बसुदेव आचार्य जी ने कहा था कि संविधान संशोधन कीजिए। यह 80 फीसदी लोगों का मामला है। यह आदिवासी, दलित और पिछड़ों का मामला है। इन्द्रा साहनी केस में नौ जजों का निर्णय है, उन्होंने जो मशविरा दिया था, उसको आपने नहीं माना। इस कांस्टीट्यूशन बेंच ने उसको मजबूत कर दिया, उसने कहा है कि "इम्पोज अपॉन", जिसका मतलब बहुत अलग है। दूसरी चीज इन्होंने कही है कि वीकर सेक्शन्स के लोग बहुत ही नाकाबिल होते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह मामला बहुत गम्भीर है। वर्तमान सत्र के सिर्फ दो दिन और बचे हैं। आपने संविधान संशोधन विधेयक लाने की बात कही थी, वह नहीं आ पाएगा, जबकि हमने 16 दिन पहले ही कहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम यह कहना चाहते हैं कि संविधान संशोधन लाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इससे ऐसा रास्ता निकाला जाए कि अदालतों में यह मामला आना ही नहीं चाहिए। सदन के अंदर हम सब लोग इस चीज को समझते हैं और वे जानते हैं कि कमजोर तबकों का जो यह मामला है, इसे ठीक करना है। लेकिन जितने बाहर के लोग हैं, हजारों वर्षों की जाति व्यवस्था है, उनका माइंड सेट है। इस रिजर्वेशन के बारे में कितने ही फैसले आए हैं, जो चाहे जैसा फैसला दे देता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसका पक्का, मुकम्मल इंतजाम करे। यदि यह ऐसे ही घुनघुनाता रहता है, तो इसे स्थाई रूप से छुड़ा लीजिए। इसलिए ठोस बात कहें और संविधान संशोधन के बगैर यह मसला हल नहीं होगा। लोग बहाना बनाकर रास्ता निकालते रहेंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। अब डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब इस विषय पर और कोई नहीं बोलेगा। रघुवंश जी आप अपनी बात कहें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप चाहें तो उक्त विषय पर अपने आपको सम्बद्ध कर सकते हैं और अपना नाम सभा पटल पर दे दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: श्री शरद यादव ने जो विषय उठाया है, उस विषय के साथ,

श्री शैलेन्द्र कुमार,

श्री पी.एल. पुनिया,

डॉ. राम चन्द्र डोम,

श्री अर्जुन राम मेघवाल,

श्री किरीट सोलंकी,

श्री वीरेन्द्र कश्यप,

श्रीमती ज्योति धुर्वे,

डॉ. अनुप कुमार साहा,

श्री पुलीन बिहारी बासके,

श्रीमती सुस्मिता बाउरी,

श्री महेन्द्र कुमार राय,

श्री गणेश सिंह,

श्री शक्ति मोहन मलिक,

श्री विश्व मोहन कुमार,

श्री रमाशंकर राजभर,

श्री राकेश सचान,

श्री आर.के. सिंह पटेल,

श्री अशोक कुमार रावत,

श्री वीरेन्द्र कुमार,

श्रीराम सिंह राठवा,

श्री सोहन पोटाई,

श्री पी.के. बिजू,

श्री सी.आर. पाटिल,

श्री रामसिंहभाई पातलभाई राठवा,

श्री अशोक अर्गल,

श्री हंसराज अहीर,

श्री रतन सिंह,

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन,

प्रो. रामशंकर.

डा. संजीव गणेश नाईक,

श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट और

श्री वैद्यनाथ महतो अपने को सम्बद्ध करते हैं।

MADAM SPEAKER: Please do not ask for a discussion. What is all this?

...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: मंत्री महोदय जी कुछ कहना चाहते हैं, रघुवंश बाबू आप बैठ जाएं।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): अध्यक्ष जी, माननीय शरद यादव जी ने जो बात कही है, वह बिल्कुल सही है। पिछली बार जब आपने यह मुद्दा उठाया था तो मैंने इस सदन में कहा था कि हम तुंत ही रिट पीटिशन फाइल करेंगे। अगर रिट पीटिशन में हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता तो और सुझावों पर विचार करेंगे, हो सकता है कि हम संविधान संशोधन लाएं। पिछली बार 14 अगस्त को जब यह मामला उठा था तो उसी दिन रिट पीटिशन फाइल हो गई थी। उसके बाद 17 अगस्त को हमने अर्जेंट एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाली थी कि इसकी तुंत सुनवाई की जाए। मैंने उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल से खुद बात की कि इस रिट पीटिशन को जल्द से जल्द लगाएं, क्योंकि सारा सदन चिंतित है कि जो रिजर्वेशन पिछड़ी जाति के लोगों को मिल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो आरक्षण की नीति पहले थी, वह आज भी लागू है, कल भी लागू रहेगी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: पहले सुन लीजिए। We are not having a discussion. Nothing else will go on record.

*(Interruptions) â€¦**

MADAM SPEAKER: Please sit down. What is this?

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: First you wanted the Minister to reply. Now he is replying; you do not want to listen.

श्री कपिल सिब्बल: मैं आपके द्वारा एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं तुंत ही एटॉर्नी जनरल से ओपीनियन लेकर सारे हिन्दुस्तान में डीओ द्वारा यह जारी करूंगा कि जो आरक्षण की नीति हम आज तक अपना रहे थे, वहीं आज भी लागू है और कल भी लागू रहेगी।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister wants to say something.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): On the AIIMS.

MADAM SPEAKER: All right.

...(*Interruptions*)

12.00 hrs.

श्री मुलायम सिंह यादव : आप गोल-मोल जवाब मत दीजिए।...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : रिव्यू-पिटीशन के बाद बात होगी। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री गुलाम नबी जी क्या कह रहे हैं उन्हें सुन लीजिए। गुलाम नबी जी आप बोलिये।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : मैडम, जो प्रश्न यहां आज माननीय शरद जी ने, मुलायम सिंह जी ने और बहुत से साथियों ने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का उठाया है और इससे पहले भी उठाया था, उस पर मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो एडवर्टाइजमेंट दिसम्बर 2012 में 148 असिस्टेंट प्रोफैसर्स की निकली थी उस पर रिजर्वेशन कई सालों से चल रही थी, उसमें इस जजमेंट से कोई असर नहीं पड़ा है और न ही हमने अभी तक कंसीडर किया है। उसकी आखिरी तारीख 31 जनवरी तक थी लेकिन ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की गवर्निंग बॉडी का एक फैसला था जिसमें दो बैचेज में पीजी का रिजल्ट निकलता था, एक पहली जनवरी को और एक पहली जुलाई को। उसमें जीबी की मीटिंग में यह तय हुआ था कि यदि कभी जनवरी का बैच निकले और जनवरी में लास्ट डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट हों तो उन्हें 6-7 महीने रुकना चाहिए ताकि जो दूसरा बैच पहली जुलाई को निकलेगा, तो वह भी उसमें शामिल हो सकता है। लिहाजा जनवरी से उस पर कार्रवाई नहीं की और 31 जुलाई जो लास्ट डेट थी, सैकिंड बैच पीजी को भी उसमें एप्लीकेशन देनी थी। अब एक ही महीना हुआ है और तकरीबन 1800 एप्लीकेशन्स आई हैं, मैंने कल वापस इंस्टीट्यूट के प्रेसीडेंट की हैसियत से डायरेक्टर को लिखकर दिया है कि अब आपके पहले और दूसरे बैच की एप्लीकेशन्स मिल गयी हैं, अब इसमें जल्दी इंटरव्यूज लेने चाहिए।

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Madam Speaker, we were asking about appointment in super speciality posts. He has not answered that.

श्री शरद यादव : महोदया, पहले तो इस बारे में एडवर्टाइजमेंट में निकल गया था। ...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : उसका भी जवाब मेरे पास है। पिछले साल 37 प्रोफैसर्स का भी इसी के साथ ही एडवर्टाइजमेंट निकला था, लेकिन वे इस कारण से नहीं रोके गये, वे आरक्षण और नो-आरक्षण के कारण नहीं रोके गये। हमारे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफैसर लेवल के दो कैडर हैं, एक तो डायरेक्ट इंटरव्यू से प्रोफैसर्स आ जाते हैं जिनके लिए अलग संख्या फिक्स है और जो एश्योर्ड प्रमोशन स्कीम से आते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफैसर भर्ती होता है, उसमें रिजर्वेशन है। फिर वह एसोसिएट बनता है, फिर एडीशनल होता है और फिर वह प्रोफैसर बन जाता है। वर्ष 2005 के बाद डायरेक्ट प्रोफैसर की कोई नियुक्ति नहीं हुई। उसका कारण यह रहा कि जो प्रोफैसर्स एपीएस रूट से आते थे, वे चाहते थे कि हमें जो डायरेक्ट प्रोफैसर की जगह निकले, उसमें भी इंटरव्यू देना अलाऊ होना चाहिए। यह वर्ष 2005 तक नहीं होता था। उन्हें अनुमति नहीं मिलती थी लेकिन हमने इस दफा उन्हें अनुमति दी कि डायरेक्ट भी प्रोफैसर के लिए इंटरव्यू दे देंगे और जो पहले प्रोफैसर्स एपीएस रूट से बने हैं उन्हें भी अलाऊ किया जाए। उसमें बड़ा विवाद हुआ और उस विवाद के कारण जो एपीएस के रूट से आते थे उन्हें ये स्वीकर करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो जो दोनों प्रोफैसर्स एक एपीएस रूट से आता है और जो दूसरा डायरेक्ट रूट से आता है, उनके बीच में झगड़ा पड़ गया, इसीलिए वर्ष 2005 से इसे रोका गया था। हमने प्रयास किया था कि सात साल के बाद इस झगड़े को सुलझाएं लेकिन यह सुलझ नहीं पाया और उसके चलते ही वह रोका गया।

MADAM SPEAKER: Let us not have a discussion on this. No, we are not in the middle of a discussion.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please, let us not have a discussion on this. What is this?

...(*Interruptions*)